# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 23/2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. गजराज पुत्र बालु जाति–नाई निवासी– भूम्बलिया तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। | | 1. सोहन पुत्र पूना खाती<br>2. हनुमान पुत्र पूनाराम कुमावत निवासीगण–बलुन्दा तहसील–जैतारण।<br>3. गीतादेवी पत्नी भाकरराम कुमावत निवासी– भेरून्दा की ढाणी, लाम्बिया तहसील– जैतारण।<br>4. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार। |

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अंन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **तारीख रजू:.23/01/2018**

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 16/12/2019**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा भूम्बलिया तहसील–जैतारण में प्रार्थी के नाम की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 291/2 रकबा 17 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 व ट्रेस नक्शा पेश है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 291/2 रकबा 17 बीघा को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में पीले रंग से बताया है। गांव ओडावास से गोचर भूमि जाने वाले रास्ते के पास ही पूर्वी और चिपते ही अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 291 रकबा 34 बीघा की कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 01 के खेत के उतरी और स्थित मांठ जिसे प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 291/2 के खेत में जाता है इस रास्ते से प्रार्थी अपने खेत की खड़ाई, बुवाई, कटाइ तथा काश्त सम्बन्धित कार्य हेतु स्वयं, मजदूर, टेक्टर बैलगाड़ी आदि लेकर आते जाते है। जो रास्ता प्रार्थी स्वयं व अपने पिता दादा के समय से काम में लेते आ रहे है। इस एक मात्र रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई रास्ते का विकल्प मौके पर नहीं है उक्त रास्ता मौके पर 20 फिट चौड़ाई व 600 फिट लम्बाई में है उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए अप्रार्थीगण वक्त बुवाई रोकटोक करते है। दिनांक 14.01.2018 को नक्शे में बताये बिन्दू ए बी भाग पर अप्रार्थीगण ने खन्दक लगाकर उपर अंग्रेजी बबुल के कांटे डालकर बन्द कर दिया, प्रार्थी ने ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थीगण नहीं माने। यदि लाल रंग का रास्ता बंद कर देने से जहां प्रार्थी अपने खेत में बुवाई व फसल लेने से वंचित होगा व अपने अधिकारों से दिन प्रतिदिन प्रभावित होगा। इसलिए विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र धारा 251

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क राज. काश्त. अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को यह भी निवेदन किया कि उक्त रास्ते को बंद करने से मैं अपने खेत में फसल खड़ाई बुवाई नहीं कर सकूंगा, समझाइश भी की परन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व रेकर्ड में रास्ता कायम करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रास्ते के बंद करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थी के खेत में जाने के जितनी भूमि रास्ते में जायेगी, उसके एवज में उतनी भूमि अप्रार्थीगण को देने के लिए तथा रासते के भूमि की जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रकम है वो भी देने के लिए तैयार है। प्रार्थी ग्राम भूम्बलिया तहसील जैतारण का रहने वाला है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान को है तथा नियमानुसार फीस पेश हे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 बावजुद नोटिसेज सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त संबंध में तहसीलदार जैतारण को क्रमांक/कोर्ट/2019/638 दिनांक 28/08/2019 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार जैतारण ने रिर्पोट प्रस्तुत की वाद में रास्ते हेतु दर्शायी गई भूमि ग्राम भूम्बलिया के खसरा नंबर 291 खातेदार हनुमानराम पुत्र पुनाराम कौग कुमावत सा. बलुन्दा गीतादेवी पत्नी भाकरराम कौम कुमावत सा. भेरून्दा सोहन पुत्र चुना कौम खाती सा. भूम्बलिया के नाम है, जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित भूमि में अन्य कोई पूर्व में स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 291 में लम्बाई 850 फुट एवं चौड़ाई 13 फुट यानि 13 बिस्वा है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. रेट 59640 रू. प्रति बीघा हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सुविधाजनक नही हैं।

*कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 251 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार –*

*"(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "*

*उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।*

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट अनुसार एवं अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार किसी कृषक को अपनी जौत तक आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर नजदीकी खातेदारी भूमि जिसमें कम से कम दूरी हो उसमें से आने जाने का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट मय नजरी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नक्शा मय प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 291 में से 13 बिस्वा, रकबा बनता है। नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। लिहाजा प्रार्थी को खसरा नम्बर 291/2 में आने व जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 291 में से 13 बिस्वा, जिसकी वर्तमान अधिकत्तम डीएलसी दर 59640 रू. प्रतिबीघा है। बाजार मूल्य के मद्देनजर उक्त कृषि भूमि की अधिकतम डीएलसी रेट की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए 77532/- रू0 प्रार्थी से वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को दिलाया जाना अर्थात् प्रार्थी से उक्त रकम वसूल कर वर्तमान खातेदार काश्तकार को भुगतान करनें एवं खसरा नम्बर 291 में रकबा 13 बिस्वा का सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाने एवं उक्त राशि वसूल करने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। सरदह मौजा-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 291 रकबा 00-34 बीघा, बारानी अव्वल में से 580 फिट लंबा एवं 13 फिट चौड़ा, जिसका कुल रकबा 1-3 बिस्वा है इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैर मुमकिन रास्ता, सिवाय चक दर्ज किए जानें के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि खसरा संख्या 291 की प्रचलित डी.एल.सी दर 59640/- प्रति बीघा के आधार पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते के कुल रकबा 13 बिस्वा का कुल राशि 77532/- (अक्षरे सतहत्तर हजार पांच सौ बतीस रुपये मात्र) प्रार्थीगण से वसूलकर अप्रार्थी को भुगतान करें। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावें एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाएं तो उन्हें हटाएं। यदि अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावे, अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलंब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/12/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.31 16:29:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: